परिपत्र संख्या 111/30/2019 - जीएसटी

फा.सं. सीबीईसी-20/06/03/2019-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

*****

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर, 2019

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी)
प्रधान महानिदेश/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय:- दावाकर्ता को अपील या किसी अन्य फोरम में दावे की मंजूरी प्राप्त होने पर अनुवर्ती FORM GST RFD-01 में रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया-के संदर्भ में।

FORM GST RFD-06 में रिफंड दावे की अस्वीकृति के खिलाफ अपील या किसी अन्य फोरम में किसी अनुवर्ती आदेश के बाद एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रिफण्ड का दावा करने की प्रक्रिया पर संदेह उठाया गया है। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मामले की जांच की गई है क्षेत्रीय कार्यालयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग (इसके बाद "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है), करते हुए निम्न मुद्दों को स्पष्ट करता है:

2. रिफंड दावों की अस्वीकृति के खिलाफ अपील का निपटारा ऑफ़लाइन किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल को चालू किया जाना अभी बाकी है। केंद्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 93 के अनुसार (इसके बाद "सीजीएसटी नियमावली" के रूप में संदर्भित किया गया है), जहां अस्वीकृति के खिलाफ रिफण्ड के दावे की अपील दायर की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही से डेबिट की गई राशि का पुनः क्रेडिट, यदि कोई हो, तो तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक अपील खारिज न हो जाए। इसलिए, ऐसी अस्वीकृत राशि, विशेष रूप से रिफण्ड का दावा जिसे **FORM GST RFD-01** में दायर किया गया है, वह राशि डेबिट ही रहेगी।

3. यदि पंजीकृत व्यक्ति जिसके रिफण्ड दावे को **FORM GST RFD-06** में एक आदेश जारी करने के माध्यम से खारिज किया गया था, किन्तु उसके द्वारा दायर की गयी अपील या किसी अन्य फॉर्म में यदि उसके दावे को मंजूरी आदेश प्राप्त हो जाता है तो पंजीकृत व्यक्ति को "मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/कोई अन्य आदेश के तहत रिफण्ड" की श्रेणी में अपील या अन्य किसी मंच द्वारा स्वीकृत की गयी राशि के दावे के लिए एक नया आवेदन करना होगा। जब कोई राशि डेबिट की गयी हो, रिफण्ड आवेदन के समय यदि कोई हो तो, पुनः क्रेडिट नहीं की गयी थी, तो पंजीकृत व्यक्ति को "मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/कोई अन्य आदेश के तहत रिफण्ड" की श्रेणी में नया रिफण्ड आवेदन करते समय उक्त राशि को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उस राशि को पुनः डेबिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकृत व्यक्ति को आदेश के प्रकार (अपील/कोई अन्य आदेश), आदेश संख्या, आदेश की तारीख और आदेश जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण देना आवश्यक होगा। पंजीकृत व्यक्ति को अपीलीय या अन्य प्राधिकरण के आदेश की एक प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा **जारी FORM GST RFD 06** में दावा खारिज करने के आदेश की प्रति या ऐसे अन्य आदेश जो अपील के खिलाफ दायर किया गया हो और अन्य संबंधित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।

4. "मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/कोई अन्य आदेश के तहत रिफण्ड" की श्रेणी के तहत रिफण्ड के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम अधिकारी जैसा कि अपील में स्वीकृत किया गया है या अनुवर्ती मंच पर जिसे मूलतः अस्वीकृत किया गया था, उसे मंजूर करेगा और **FORM GST RFD 06** में एक आदेश देगा और तदनुसार **FORM GST RFD 05** में भुगतान के आदेश जारी करेगा। सक्षम अधिकारी "मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/कोई अन्य आदेश के तहत रिफण्ड" की श्रेणी के तहत रिफंड के लिए आवेदन का निपटान करते समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह राशि जो अपीलीयकर्ता के आदेश (या किसी अन्य प्राधिकरण) में अस्वीकार की गयी थी, उसे पुनः क्रेडिट करवाई जाए। हालांकि, ऐसा पुनः क्रेडिट परिपत्र सं. 59/33/2018-जीएसटी, दिनांक 04.09.2018 के पैरा 4.2 में दी गयी मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण को एक उदाहरण की मदद से दर्शाया जा सकता है। एक पंजीकृत व्यक्ति जो निर्यात के आधार पर अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के लिए 100 रुपये एक आवेदन करता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से उक्त राशि डेबिट की जाती है। सक्षम अधिकारी मामला का निपटान करता है और 70 रुपये के रिफण्ड की अनुमति देता है और 30 रुपये पर पुनर्विचार नहीं करता है। हालांकि दावेदार द्वारा 30 रुपये के लिए अपील तदनुसार **FORM GST RFD 01B** अपलोड नहीं की गई है। मान लें कि अपीलीय प्राधिकारी 30 रु. में से केवल 10 रुपये की वापसी की अनुमति देता है, जिसके लिए पंजीकृत व्यक्ति अपील में गया था। यह 10 रुपये का दावा "मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/कोई अन्य आदेश के तहत रिफण्ड" की श्रेणी के तहत नया दावा पेश करेगा और उसके अनुसार ही प्रक्रिया अपनाएगा। हालाकि, 10 रुपये के इस दावे के बाद सक्षम अधिकारी दावेदार के

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पुनः 20 रुपये क्रेडिट करवाएगा बशर्ते कि वह पंजीकृत व्यक्ति एक उच्च मंच में आदेश को चुनौती नहीं देगा। इस उद्देश्य से, मूल एआरएन के तहत **FORM GST RFD 01B** जिसे अब तक अपलोड नहीं किया गया था, इसे 80 रुपये की रिफण्ड स्वीकृति के साथ अपलोड किया जाएगा और 20 रुपये पुनः क्रेडिट किये जाएंगे। यदि सक्षम अधिकारी वह व्यक्ति नहीं है जिसने "मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/कोई अन्य आदेश के तहत रिफण्ड" की श्रेणी के तहत किये गये रिफण्ड के दावे को अस्वीकार किया था, तो वह सक्षम अधिकारी को परिपत्र सं. 59/33/2018-जीएसटी, दिनांक 04.09.2018 के पैरा 4.2 के अनुसार उपक्रम को प्राप्त करने के बाद जिस अधिकारी ने आवेदन को अस्वीकार किया था तो उसे उक्त एआरएन के तहत रिफण्ड दावे को बंद करने की सूचना देगा।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

7. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(योगेंद्र गर्ग)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)

****